बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या : वि॰प्रा॰(।)स्था॰–06 / 2014 /　　　　　　　　/ पटना, दिनांक :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा ''बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली 2014'' के परिशिष्ट–1 की तालिका– 2 को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :–

परिशिष्ट–1

तालिका–2

बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा के व्याख्याता पद पर सीधी नियुक्ति के लिए वेटेज स्कीम।

शैक्षणिक अर्हता (संशोधित)			
बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग परिशिष्ट-I सारणी 2 बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा में लेक्चरर के पद के लिए वेटेज स्कीम:			
संवर्ग पद	कुल वेटेज- 100		
	अकादमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान कार्य अधिमान -50	कार्य ज्ञान और शिक्षण कौशल का मूल्यांकन अधिमान -30	साक्षात्कार (वेटेज -20)
व्याख्याता (मानविकी एवं विज्ञान)	**(a)** प्रासंगिक विषय में एमएससी / एमए में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 25% (अधिकतम- 25 अंक) **(b)** प्रासंगिक विषय में बीएससी (ऑनर्स)/ बी0ए0 (ऑनर्स) में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 15% (अधिकतम -15 अंक) **(c)** विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्याताओं को जो न्युनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है, 2 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम- 10 अंक)	**(I)** यूजीसी / सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा, जो यूजीसी / सीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंक घोषित किया गया हो :- ऐसे परीक्षा में प्राप्त अंकों का 30 प्रतिशत। (अधिकतम- 30 अंक) **(II)** यूजीसी / सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा समकक्ष परीक्षा जो यूजीसी / सीएसआईआर से मान्यता प्राप्त हो यथा, स्लेट/सेट, में सफल उम्मीदवार जिनका परीक्षा में प्रतिशत अंकों का खुलासा नहीं किया गया हो :- कंडिका-1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंको का औसत। (अधिकतम- 30 अंक) **(III)** प्रासंगिक क्षेत्र में पीएचडी उम्मीदवार जिन्हें अभातशिप द्वारा नेट उत्तीर्णता से छूट दी गई है :- उपर्युक्त कंडिका- 1 के आवेदको द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। (अधिकतम- 30 अंक)	20 अंक

व्याख्याता (अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी)	(ए) प्रासंगिक विषय में बी.ई./ बी.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 25% (अधिकतम- 25 अंक) (बी) प्रासंगिक विषय में एम.ई. / एम.टेक में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 10% (अधिकतम -10 अंक) (सी) पीएचडी -5 अंक (डी) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित व्याख्याता के अभ्यर्थी जो न्युनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है को प्रतिवर्ष 2 अंक। अधिकतम- 10 अंक।	(ए) ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट), स्कोर में प्राप्त प्रतिशतता का 30% (अधिकतम- 30 अंक)	20 अंक

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(I)स्था॰–04/2014/ 889 /पटना, दिनांक : 10-4-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/ सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/ सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना/ माननीय विभागीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई॰टी॰ मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/17
उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

10/4/17

पप्पू/30.03.17

Govt. of Bihar

Deptt. of Science & Technology

Notification

No.Vi.Pra(i)Astha-06/2014/ /Patna,dated....................................../

In exercise of the powers conferred by proviso to Article - 309 of the consitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to substitute the table- 2 of Appendix -1 of the Bihar Polytechnic Education Service Rule, 2014 with immediate effect:-

Amendment

" Appendix-1"

Table-2

Weightage scheme for direct appointment to the post of the Lecturer of The Bihar Polytechnic Education Service:-

Government of Bihar Science And Technology department Appendix-I TABLE-2 Weightage Scheme for Post of Lecturer in Bihar Polytechnic Education Service:			
Cadre Post	Total Weightage-100		
	Academic Record And Research Work (Weightage-50)	Evaluation of Work-Knowledge and Teaching Skill (Weightage-30)	Interview (Weightage-20)
Lecturer (Humanities & Science)	**(a)** 25% of Percentage Marks obtained in M.Sc./MA in relevant subject- **(Max.-25 marks)** **(b)** 15% of Percentage Marks obtained in B.Sc. (Hons)/BA (Hons) in relevant subject - **(Max. -15 marks)** (c) Weightage to candidates working on contract the post of lecturer under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 2 marks per year. **(Max.- 10 marks)**	**(i)** National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/ CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET in the concerned subject where % marks obtained is disclosed by UGC/ CSIR to the successful candidate **(Max.-30 marks)** :- 30% of the percentage marks obtained in such test. **(ii)** National Eligibility Test (NET) conducted by UGC/ CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET in the concerned subject in cases where % marks obtained has not been disclosed to the successful candidate **(Max.-30 marks)**:- Average of the scores obtained by the applicants as in (i) above. **(iii)** Candidates with Ph.D. in relevant field who are exempted from NET qualification by AICTE **(Max.-30 marks)**:- Average of the scores obtained by the applicants as in (i) above.	20 marks

Lecturer (Engineering/ Technology)	**(a)** 25% of Percentage Marks obtained in B.E./B.Tech. in relevant subject- **(Max.-25 marks)** **(b)** 10% of Percentage Marks obtained in M.E./M.Tech. in relevant subject -**(Max.-10 marks)** **(c)** Ph.D.- **05 marks** **(d)** Weightage to candidates working on contract the post of lecturer under Department of Science & Technology and possessing minimum eligibility criteria @ 2 marks per year **(Max.- 10 marks)**	(a) 30% of Percentile obtained in Graduate Aptitude Test (GATE) Score (Max- 30 Marks)	20 marks

by Order of the Governor of Bihar,

Sd/-
Deputy Secretary,
Deptt. of Science & Technology,
Bihar,Patna.

Memo No. vi pra (i) Astha-06/2014- 889 Patna, Dated :- 10-4-017

Copy to : Accountant General, Bihar, Patna/Superintendent. Govt. Press. Gulzarbagh, Bihar, Patna-7/Officer in charge, E-Gazette, Finance Department for information and publish in the forthcoming issue of the Gazette/Principal Secretary, Hon'ble Governor, Bihar/Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Bihar/O.S.D, Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary/Secretary, General Administration Department/Finance Department/Cabinet Secreaty/Secretary, Bihar Publish Service commission/All Principal, Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnic Institutions/Govt Women's Polytechnic Institutions/Secretary, State Board of Technical Education, Patna/ Private Secretary of Hon'ble Departmental Minister/All Officer, Science & Technology Department/Principal Private Secretary of Principal Secratary/I.T manager (for upload), Science & Technology Department for information and necessary action.

10/04/17
(Deputy Secratary)
Department of Science & Technology
Govt. Bihar, Patna

10/4/17

Pappu/30.03.17